न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 15/17 सन् 2017

आरसीएमएस संख्या 2017/000205

बउनवानीः—

1. चन्द्रा पुत्र पांच्या बैरवा निवासी ग्राम दुब्बी खुर्द हाल निवासी दोलाडा तह0 स0मा0
2. मु0 नेहनी बेवा पन्ना बैरवा निवासी दुब्बी खुर्द हाल निवासी दोलाडा तह0 स0मा0
3. रामनिवास पुत्र पन्ना बैरवा निवासी दुब्बी खुर्द हाल निवासी दोलाडा तह0 स0मा0
4. रामधन पुत्र नारायण बैरवा निवासी दुब्बी खुर्द हाल निवासी दोलाडा तह0 स0मा0
5. रामफूल पुत्र नारायण बैरवा निवासी दुब्बी खुर्द हाल निवासी दोलाडा तह0 स0मा0

बनाम

1. ईस्लामुद्दीन पुत्र जन्सी जाति गद्दी मुसलमान ग्राम दौबडा कलां तह0 स0मा0
2. अस्मीन पुत्री जन्सी पत्नि फारूख जाति गद्दी मुसलमान ग्राम शेषा तह0 स0मा0
3. तजरून पुत्री जन्सी पत्नि ईकराम जाति गद्दी मुसलमान ग्राम शेषा तह0 स0मा0
4. मौसमीन पुत्री जन्सी पत्नि मुख्तयार गद्दी मुसलमान ग्राम दुब्बीखुर्द तह0 स0मा0
5. तैयबा पुत्र अहमद जाति गद्दी मुसलमान ग्राम दौबडा कला तह0 सवाईमाधोपुर
6. मुबारक पुत्र अहमद जाति गद्दी मुसलमान ग्राम दौबडा कला तह0 सवाईमाधोपुर
7. गुलाब बानो बेवा रहमुद्दीन जाति गद्दी मुसलमान ग्राम दौबडा कला तह0 स0मा0
8. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 61 निर्णय दिनांक 2.11.1977 वाके ग्राम दुब्बी खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री हयात अली — वकील अपीलान्टगण

2. श्री कमलेश कुमार जैन — वकील रेस्पो.संख्या,1—7

—: निर्णय :— दिनांक 22..07.2019

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 61 निर्णय दिनांक 2.11.1977 वाके ग्राम दुब्बी खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीान्टस मे चन्द्रा पुत्र पांच्या, नैनी बेवा पन्नालाल, रामधन व रामफूल पिसरान नारायण तथा रामनिवास पुत्र पन्ना बैरवा मूल निवासी दुब्बी खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर में हम शिडूयल कास्ट बैरवा जाति के चन्द घरों की आबादी होने तथा मुसलमान गद्दी जाति ग्राम दुब्बी खुर्द व दोबडा कलां दोनो ही गावं में 500—600 घरों की बडी संख्या मुसमान गद्दी की है। हमारे पूर्वज पांच्या पुत्र रामा बैरवा की खातेदारी की ग्राम दुब्बी खुर्द में स्थित कृषि भूमि आराजी ख0न0 2,238,272 कुल रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा जिसके वर्तमान नम्बर ख0न0 2,3,4,5 बने है। हमारे पूर्व पांच्या व उसका पुत्र पन्ना टी.बी. रोग से ग्रसित होने के कारण पहले पन्ना का तथा उसके बाद पांच्या पुत्र रामा बैरवा का दिनांक 13.2.1974 को देहान्त हो गया। अपीलान्ट चन्द्रा पुत्र पांच्या बैरवा की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि को हडपने हेतु तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों से भारी रकम का भ्रष्टाचार के तहत अपीलान्ट चन्द्रा के पिता पांच्या पुत्र रामा की मृत्यु दिनांक 13.2.1974

डॉ० एस.पी. सिंह
जिला कलेक्टर

को हो जाने के उपरान्त फर्जी दावे की ताईद मे तथाकथित दिनांक 14.12.1976 को गलत निर्णय व फर्जी डिक्री के तहत आदेश जैर नामा0 संख्या 61 दिनांक 2.11.1977 को दर्ज करवाया गया है जबकि उक्त नामा0 अपीलान्टगण के नाम तस्दीक होने चाहिए था। वकील अपीलान्ट द्वारा तर्क दिया कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जरिये विक्रय पत्र, मोरगेज, गिफ्ट डीड के आधार पर हस्तानान्तरण नही हो सकती है कथन के समर्थन में वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त क्रमश RRD,2007 page 676, RRT,2007(2) Page 763, RRT,2009(1) Page 468, RRD,2008 Page 850, RRd,2008 Page 806 इत्यादि प्रस्तुत किये गयें। क्योकि उक्त विवादित भूमि हमारे पूर्वज पांच्या पुत्र रामा बैरवा की थी जिनकी मृत्यु दिनांक 13.2.1974 को हो गयी थी लेकिन मुसलमान गद्दी नोन एस.सी. महबूब पुत्र मदारी के नाम से जैरे अपील नामा0 संख्या 61 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 42 बी तथा धारा 183 सी का उल्लंघन करते हुए भ्रष्टाचार करके नामा0 ब्रीच ऑफ मेण्डेटरी प्रोविजन के विपरीत फर्जी कार्यवाही के तहत तस्दीक किये गये समस्त नामा0 संख्या 61 महबूब पुत्र मदारी की मृत्यु के पश्चात इनकी संतानो में रेस्पो. इस्लामुद्दीन, अस्मीन,तजरून, मौसमीन, तैयबा, मुबारक, गुलाब के विरासत संबंधी गलत नामा0 तस्दीक किये गये है तथा इन विधि विरूद्व नामा0 के द्वारा फर्जी विक्रय पत्र अथवा दान पत्रों आदि के तहत रेस्पो. द्वारा फर्जी राजस्व रिकार्ड बनवाकर जो वर्तमान मे हम अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 4 को विरासत मे पांच्या पुत्र रामा बैरवा से हमे प्राप्त भूमि ख0न0 2,238,272 वाके ग्राम दुब्बी खुर्द के नामा0 सख्या 81,82 दिनांक 29.1.2013, नामा0 संख्या 88 दिनांक 2.7.2013, नामा0 संख्या 89 दिनांक 9.7.2013, नामा0 संख्या 90 दिनांक 9.7.2013 व नामा0 संख्या 91 दिनांक 31.7.2013 को निरस्त फरमाया जाकर हम अपीलान्टगण के नाम से हमारे पूर्वज पांच्या पुत्र रामा बैरवा की विरासत का नामा. तस्दीक किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पो. संख्या 1 लगायत 7 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि रेस्पो. संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज महबूब पुत्र मदारी जाति गद्दी मुसलमान निवासी दोबडा कलां के नाम से तस्दीक किया गया आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 61 दिनांक 2.11. 1977 विधि सम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। क्योकि उक्त नामा0 उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर के वाद संख्या 284/76 उनवानी महबूब पुत्र मदारी बनाम पांच्या पुत्र रामा जाति बैरवा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.1976 की पालना में भरकर दर्ज फैसल किया गया है जिसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। जहॉ तक अपीलान्ट के अनुसार अनुसूचित जाति की भूमि का गैर अनूसूचित जाति के व्यक्ति के नाम से हस्तानान्तरण होने पर धारा 42 बी एंव धारा 183 सी का उल्लंघन होने का प्रश्न है तो उक्त धारा इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है क्योंकि इस प्रकरण में अपीलान्ट के पूर्वजों द्वारा उक्त भूमि का अवैध हस्तानान्तरण नही किया है। बल्कि उक्त भूमि रेस्पो.के पूर्वजो की ही थी जो पांच्या पुत्र रामा बैरवा के नाम से राजस्व रिकार्ड मे गलत रूप तरीके से दर्ज हो जाने के कारण उसको दुरूस्त करवाने हेतु रेस्पो. के पूर्वज द्वारा माननीय न्यायालय मे उक्त वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसमे अपीलान्ट के पूर्वज द्वारा वादपत्र में वर्णित तथ्यों को सही बताते हुए उक्त भूमि रेस्पो. के पूर्वजों के नाम लगाने की सहमति दी गयी थी जिसके अनुसार ही माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.1976 को निर्णय पारित कर उक्त भूमि को हम रेस्पो. के पूर्वज महबूब पुत्र मदारी के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने के आदेश पारित किया गया है। इसलिए वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है यह तर्क भी दिया कि जब तक उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.1976 को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाता है तब तक उक्त नामा0 को जरिये नामा0 अपील निरस्त नही करवाया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो. द्वारा निवेदन किया गया।

डॉ० एस० पी० सिंह
जिला कलेक्टर

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ, कि विवादित नामा0 आदेश जैर अपील नामा संख्या 61 दिनांक 2.11.1977 वाके ग्राम दुब्बी खुर्द उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर के वाद संख्या 284/76 बउनवानी महबूब बनाम पांच्या मे पारित निर्णय दिनांक 14.12.1976 की पालना में तस्दीक किया गया है। चूंकि उक्त नामा0 का मूल आधार न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14.12.1976 है तथा जब तक उक्त निर्णय निरस्त नही हो जाता तब तक उक्त नामा0 को निरस्त नही किया जा सकता है। उक्त नामा0 को निरस्त करवाने हेतु अपीलान्ट को न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 14.12.1976 को निरस्त करवाना आवश्यक है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त अवैध हस्तानान्तरण के संबंध में होने के कारण इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है। क्योकि इस प्रकरण में अपीलान्ट के पूर्वज द्वारा भूमि का अवैध हस्तानान्तरण नही किया गया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार विधिक त्रुटि प्रतीत नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.7.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 16:55:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: